



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन मन्दि. डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpeccdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-49वी० / 2015— 607 दिनांक —09.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला / सारण्डा वन प्रमण्डल, सारण्डा / विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा / जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर / जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वयित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण, तासर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का वृक्षारोपण, गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं अवकृष्ट वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल रु० 42.702 लाख (बियालीस लाख सत्तर हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/योबजट-53/2015-53/स्वी० व०५० दिनांक—06.01.2016 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/योबजट-53/2015-34/आ० व०५० दिनांक 06.04.2017।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल रु० 42.702 लाख (बियालीस लाख सत्तर हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	36.182
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	6.520
कुल :-		42.702

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1(क) से 1(ड०) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को सम्मय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2(क) से 2(ग) तथा ऑन लाइन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी० 19S240601796580103 तथा पी० 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं विंस विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसका प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. इस योजनान्तर्गत यानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. रोपित पौधों / वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच / सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षावार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योवजट-49बी० / 2015-607 दिनांक- 09.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ज्ञारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ज्ञारखण्ड/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/प्रादेशिक अंचल, दुमका/प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योवजट-49बी० / 2015-607 दिनांक- 09.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर /कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावा/कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/कोषागार पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योवजट-49बी० / 2015-607 दिनांक- 09.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची

अनु०- 1(क)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हेक्टर में)	राशि (रु० लाख में)		
			वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			10152.38	2182.40	12334.78
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	60.00	6.091	1.309	7.400
2	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	40.00	4.062	0.873	4.935
	योग :-	100.00	10.153	2.182	12.335

अनु०- 1(ख)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत तसर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हेक्टर में)	राशि (रु० लाख में)		
			वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			13370.98	2402.50	15773.48
i	ii	iii	iv	v	vi
1	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा	50.00	6.686	1.201	7.887
	योग :-	50.00	6.686	1.201	7.887

अनु०- 1(ग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत शीध्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हेक्टर में)	राशि (रु० लाख में)		
			वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			13370.98	2402.50	15773.48
i	ii	iii	iv	v	vi
1	तत्त्वज्ञेत्र तत्त्व ग्राम्यकला तत्त्वप्रोत्पादन	25.00	4.200	0.841	5.021

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमंडल का नाम	भौतिक (हेक्टर में)	राशि (रु० लाख में)		
			वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	40.00	4.061	0.873	4.934
	योग :-	40.00	4.061	0.873	4.934

अनु०- १(ड)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमंडल का नाम	भौतिक उपलब्धि (हेक्टर में)	राशि (रु० लाख में)		
			वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	60.00	4.298	0.577	4.875
2	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	38.00	2.722	0.365	3.087
3	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा	50.00	3.582	0.481	4.063
	योग :-	148.00	10.602	1.423	12.025
	सकल योग :-	373.00	36.182	6.520	42.702

अपर प्रधान मुख्य सूचक संरक्षक, विकास,
आश्रित, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधे का रोपण / तसर वृक्षारोपण


पौधों की संख्या प्रति हेठो : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)							
1	एक कोडनी-निकौनी	हेठो	35.00	8046.50	0.00	8046.50	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	1962.50	1962.50	
3	पौधों की सुरक्षा						
3.1	30 हेठो तक	हेठो	12.16	2795.58		2795.58	
3.2	30 हेठो से 60 हेठो तक						
4	घेरान मरम्मति	घेन	6.00	1379.40	0.00	1379.40	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेठो	5.00	1149.50	440.00	1589.50	
योग :-			58.16	13370.98	2402.50	15773.48	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
आरबैण्ड, राज्यी



वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि / गैर वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण पौधों की संख्या प्रति हेठले : 1666
पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पादित कार्य (तृतीय वर्ष)							
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हेठले	23.00	5287.70	0.00	5287.70	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेठले तक)	हेठले	12.16	2795.58	0.00	2795.58	
	पौधों की सुरक्षा (30 हेठले से अधिक)						
4	गड्ढा धेरान की मरम्मत	चेन	1.00	229.90	0.00	229.90	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेठले	3.00	689.70	290.00	979.70	
6	सिंगलिंग एवं पुनिग	हेठले	5.00	1149.50	0.00	1149.50	
योग :-			44.16	10152.38	2182.40	12334.78	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1000 पौधे

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पोषण कार्य (तुरंतीय वर्ष)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	हेठो	14.00	3218.60	0.00	3218.60	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो तक)	हेठो	9.16	2105.88		2105.88	
	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो से अधिक)						
4	घेरान मरम्मति	हेठो	6.00	1379.40	0.00	1379.40	
6	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेठो	2.00	459.80	176.00	635.80	
योग :-			31.16	7163.68	961.00	8124.68	



अपर प्रधान सुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, सैंची



आवंटन आदेता

जारीकरण संदर्भ

वार्षिक विवरण वर्ष 2017-18 में राज्य द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा दीर्घ काल भीर के सामने भेजिये गये आवंटन की जाती है।

पर्याय संख्या - 01/YB-49b/15/607

दिनांक -

09-May-2

संख्या	विवर कोड	एक्सेस नं.	लिकाजी एवं राजन बदा.	आवंटन राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - बालिकी नथा बन्ध प्राणी 01 - बालिकी 796 - जनजातीय लेव उपयोगना 58 - अधिकारिय वन भूमि पर नृकानेपण एवं भू-वंगवान 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - परदूरी	29283	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	609,100.00 राज्य द्वारा लाला द्वारा दी गयी
2	S 19 240601796580103 2406 - बालिकी नथा बन्ध प्राणी 01 - बालिकी 796 - जनजातीय लेव उपयोगना 58 - अधिकारिय वन भूमि पर नृकानेपण एवं भू-वंगवान 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - परदूरी	29285	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	406,200.00 राज्य द्वारा लाला द्वारा दी गयी
3	S 19 240601796580103 2406 - बालिकी नथा बन्ध प्राणी 01 - बालिकी 796 - जनजातीय लेव उपयोगना 58 - अधिकारिय वन भूमि पर नृकानेपण एवं भू-वंगवान 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - परदूरी	29286	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W.F. PRO.DIV.CBSA.	1,026,800.00 राज्य द्वारा लाला द्वारा आठ से

राज्य द्वारा लाला द्वारा आठ से

क्रमिक योग:

राज्य द्वारा लाला द्वारा आठ से


SARWAN SINGH

क्रमांक	विषय कोड	प्रक्रिया नं	निकासी वर्ष अवधि वदा.	आर्द्धित राशि
4	S 19 240601796580103	29290	JSRFOR051	740,200.00
2406 - बानिकी नवा बन्ध शारी				
01 - बानिकी				
796 - बनजातीय भेत्र उपयोगना				
58 - अधिकृतिक बन दूषि पर वृक्षांशुपत्र एवं भू-संरक्षण				
01 - बैतन गांव बने				
03 - बनदुरी				
State Scheme :				
Central Scheme :				
5	S 19 240601796580103	29291	JMTFOR001	406,100.00
2406 - बानिकी नवा बन्ध शारी				
01 - बानिकी				
796 - बनजातीय भेत्र उपयोगना				
58 - अधिकृतिक बन दूषि पर वृक्षांशुपत्र एवं भू-संरक्षण				
01 - बैतन गांव बने				
03 - बनदुरी				
State Scheme :				
Central Scheme :				
6	S 19 240601796580103	29293	GMLFOR001	429,800.00
2406 - बानिकी नवा बन्ध शारी				
01 - बानिकी				
796 - बनजातीय भेत्र उपयोगना				
58 - अधिकृतिक बन दूषि पर वृक्षांशुपत्र एवं भू-संरक्षण				
01 - बैतन गांव बने				
03 - बनदुरी				
State Scheme :				
Central Scheme :				
योग				
1,576,100.00				
अधिक योग:				
3,618,200.00				

कृपये छर्टीस लाल अंदारह बजार दो से

(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विषय कोड	एकलोक नं	निकासी एवं बदलन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी नदा बाय ग्रामी 01 - वानिकी 796 - उत्तरार्द्ध भेत्र उपर्योगना 58 - अधिन्यूविन बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - उत्तरार्द्ध भेत्र 23 - भागुर्ति एवं गामगी	29297	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	130,900.00
8	State Scheme : Central Scheme : S 19 240601796580323 2406 - वानिकी नदा बाय ग्रामी 01 - वानिकी 796 - उत्तरार्द्ध भेत्र उपर्योगना 58 - अधिन्यूविन बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - उत्तरार्द्ध भेत्र 23 - भागुर्ति एवं गामगी	29299	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	87,300.00
9	State Scheme : Central Scheme : S 19 240601796580323 2406 - वानिकी नदा बाय ग्रामी 01 - वानिकी 796 - उत्तरार्द्ध भेत्र उपर्योगना 58 - अधिन्यूविन बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - उत्तरार्द्ध भेत्र 23 - भागुर्ति एवं गामगी	29300	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	168,200.00
वांग				366,400.00
कर्मिक योग्य	कर्पये वालीय लाल यार इनार ध: श्री			4,004,600.00



SHRI SATNAM SINGH

क्रमांक	विषय कोड	रक्षण सं	निकाही एवं व्यवहार पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796580323 2406 - नानिर्वत नवा बन्ध शारी 01 - बांतिकी 796 - नानालीय लेव इवोजना 58 - अधिकृत इन भूमि दर्ता कुआनोपत्त 1/के भू-गंगरुन्न 03 - उभासनिक व्यव 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29302	JSRFOR051 SHABAALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	120,600.00

State Scheme:

Central Scheme:

11	S 19 240601796580323	29305	JMTFOR001	87.300.00
	2406 - जानिवी कथा दन्व शर्मी			
	01 - जानिवी		RAJ KUMAR SAH	राजेश किल्लाराम दावर शीर शर्मी
	796 - अनन्तरातीय श्रेष्ठ उपर्योगना		D.F.O. JAMTARA	
	58 - अस्तित्वावधि कथा चूधि पर सुधारोगण एवं सूचनावाचक			
	03 - प्रशासनिक अध्य			
	23 - आपाति उप नामरूपी			

State Scheme

Central Scheme:

12	S 19 240801796580323	29307	GMLFOR001	57,700 00
2406 - बानियी तथा बन्य प्राणी				
01 - बानियी				
796 - जनजातीय लोक दूषयोनना				
58 - अधिकृत लोक धूमि पर कृष्णारोग गांव मु-मंडलग				
03 - प्रधानमन्त्री व्यव				
23 - अपर्याप्त उप भाषणी				
AJIT KUMAR SINGH				कपडे सत्ताधन कलार गांव गो
D.F.O. GUMLA				

State Schema

General Scheme:

347

क्रमिक योगः

ਨੂਪਦੇ ਤੁਮਾਂਕੀਲੇ ਜਾਵੇ ਸਲਾਹ ਛਾਹ ਹੋ ਗੀ

265,600.00

4,270,200.00

ESTATE PLANNING